



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-01082025-265118
CG-WB-E-01082025-265118

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3449]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2025/श्रावण 8, 1947

No. 3449]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2025/SHRAVANA 8, 1947

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

आदेश

कोलकाता, 25 जुलाई, 2025

का.आ. 3533(अ).— पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 6 (1) (iii) एवं खंड 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 16.06.2025 के आंशिक रूप से संशोधित समसंख्यक आदेश का संदर्भ लें जिसके अंतर्गत कच्चे जूट के बेलर्स, व्यापारी/ डीलर/ एजेंसी/ स्टॉकिस्ट को और जिन्होंने पंजीकरण हेतु इस कार्यालय में आवेदन नहीं किया है, उन्हें कच्चे जूट की अधिकतम मात्रा क्रमशः 500 क्विंटल, 100 क्विंटल तथा 500 किलोग्राम रखने की अनुमति दी जाती है। साथ ही, कच्चे जूट से जूट वस्तुएं बनाने वाले जूट मिल/उत्पादन इकाइयों को अधिकतम 45 दिनों के उपभोग के लिए कच्चे जूट की मात्रा के स्टॉक को रखने की अनुमति दी जाती है।

कच्चे जूट के वर्तमान विपणन परीदृश्य पर विचार करने के बाद, मैं, मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त, दिनांक 20.05.2025 के उपर्युक्त आदेश तथा दिनांक 16.06.2025 के संशोधित आदेश एतद्वारा तत्काल प्रभाव से वापस लेता हूँ।

[फा. सं. जूट(टी)-6/1/178/जीएन(23)/2019-I(ई)]

मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES
(Office of the Jute Commissioner)

ORDER

Kolkata, the 25th July, 2025

S.O. 3533(E).— This has reference to Order of even number dated 20.05.2025 issued in exercise of power conferred under Clause 6(1) (iii) & Clause 5 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 and partially modified vide Order of even number dated 16.06.2025, permitting raw jute balers traders/dealers/agencies/stockists and those who have not applied for registration in this office to hold the stocks of raw jute upto a maximum quantity of 500 quintals, 100 quintals and 500 kilogram respectively and Jute Mills / Manufacturing units of Jute Goods from raw jute to hold the stocks of raw jute upto a maximum quantity of 45-days' consumption.

After considering the current market scenario of raw jute, I, Moloy Chandan Chakraborty, Jute Commissioner hereby withdraw the said Order dated 20.05.2025 and modification dated 16.06.2025 with immediate effect.

[F. No. Jute(T)-6/1/178/GN(23)/2019-I(E)]

MOLOY CHANDAN CHAKRABORTTY, Jute Commissioner